एस.ई.आई. सोलर पावर प्रा.लि. (सन एडिशन इण्डिया प्रा.लि.) वर्तमान पता–गांव उग्रास तहसील फलोदी जिला फलोदी । पंजीकृत कार्यालय– शक्ति टावरस, टावर–1, 4 फ्लोर, अन्ना सालाई, चैन्नई।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. स्व. किशोरसिंह पुत्र रेवतसिंह राजपूत के कायम मुकामान–
   1.1. नरपतसिंह पुत्र स्व. श्री किशोरसिंह,
   1.2. प्रेमसिंह पुत्र स्व. श्री किशोरसिंह,
   1.3. धीरूकंवर पुत्री स्व. श्री किशोरसिंह,
   1.4. सीमाकंवर पुत्री स्व. श्री किशोरसिंह,
   1.5. मंगुकवर पुत्री स्व. श्री किशोरसिंह,
2. मूलसिंह पुत्र रेवतसिंह राजपूत,
   निवासीगण उग्रास तहसील फलोदी जिला फलोदी।
3. महिपाल पुत्र बाबूराम विश्नोई,
4. रामनिवास पुत्र बाबूराम विश्नोई,
5. बिन्नुराम उर्फ विनोद पुत्र आदूराम विश्नोई,
6. जमू पत्नी आदूराम विश्नोई
7. विमला पुत्री आदूराम,
8. लक्ष्मी पुत्री स्व. श्री आदूराम,
   सभी निवासीयान ग्राम ढढू तहसील फलोदी जिला फलोदी।
9. जतूकंवर पत्नी दलसिह राजपूत,
10. मोहनकंवर पुत्री दलसिंह राजपूत
11. किशनकंवर पुत्री दलसिंह राजपूत,
12. चूनकंवर पुत्री दलसिंह राजपूत
    निवासीगण उग्रास तहसील फलोदी जिला फलोदी।
13. स्व. उदाराम पुत्र स्व. श्री धोंकलराम के कायम मुकामान–
    13.1. चैनाराम पुत्र स्व. श्री उदाराम,
    13.2. घेवरराम पुत्र स्व. श्री उदाराम
    13.3. रत्नाराम पुत्र स्व. श्री उदाराम
    13.4. पपू पत्नी स्व श्री उदाराग
14. गजाराम पुत्र स्व. श्री धोंकलराम,
15. चुनाराम पुत्र स्व श्री धोकलराम,
16. घमण्डाराम पुत्र स्व. श्री धौकलराग
    सभी जातियान कुम्हार निवासीगण देचू तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर।
17. छोटूराम पुत्र कोजूराम जाति विश्नोई निवासी उग्रास तहसील फलोदी जिला फलोदी।
18. कानाराम पुत्र श्री सूरजनराम के कायम मुकाम–

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

18.1. मीरा पत्नी स्व. कानाराम
18.2. रामनिवास पुत्र स्व. कानाराम
18.3. भीखाराम पुत्र स्व. कानाराम
18.4. सुनिल पुत्र स्व. कानाराम
18.5. कैलाश पुत्र स्व. कानाराम
18.6. बालकिशन पुत्र स्व. कानाराम
18.7. अनिल पुत्र स्व. कानाराम
18.8. साकू पुत्री स्व. कानाराम
18.9. रोशनी पुत्री स्व. कानाराम
18.10. पार्वती पुत्री स्व. कानाराम
सभी जातियान् विश्नोई, निवासीगण उग्रास, तहसील फलोदी जिला फलोदी।

19. श्रीमती स्मिता जैन पत्नी श्री लाडेश जैन निवासी सगता भवन के पास आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पास हुडको चौराहा के पास, कमला नेहरू नगर, जोधपुर।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फलोदी जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 28 जून 2018 राजस्व विविध प्रार्थना पत्र 40/2014 महिपालसिंह व अन्य बनाम जतु कंवर इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–
श्री किशोर रंगा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या 17/1 से 17/10
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 20

नि र्ण य

दिनांक : 15 अप्रैल 2025

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 40/2014 महिपालसिंह व अन्य बनाम जतु कंवर इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 28 जून 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 21 दिसंबर 2018 को प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो. संख्या तीन से छ व आठ ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 220 रकबा 109 बीघा, खसरा नंबर 213 रकबा 729.04 बीघा ग्राम उग्राम के संबंध में एक राजस्व मूलवाद सन् 1966 में पेश किया गया था, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08. 1971 को डिक्री कर दिया गया। वर्ष 2004 में उक्त डिक्री को चुनोति देते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश हुई जिस अपील का निस्तारण वर्ष 2006 में करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद में पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.1971 को निरस्त करते हुए मामला पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त समयावधि के दौरान वादग्रस्त आराजी का काफी हिस्सा जरिये बेचान व अन्य प्रकार से हस्तांतरित हो चुका था। इस कारण वाद में नवीन पक्षकारान् का सृजन हुआ। वाद के विचारण के दौरान दिनांक 23.11.2013 को विचारण न्यायालय द्वारा वाद को नोट–प्रेस में खारिज करने का आदेश प्रदान कर दिया, जिसके विरूद्ध वादी सख्या–06 से 14 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद को रेस्टोर कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सी पी सी पेश कर वाद को रेस्टोर कर पुनः नम्बर पर लिये जाने की प्रार्थना की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी पक्ष संख्या 06 से 14 के उक्त प्रार्थनापत्र को सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06 2018 के खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धांतों की पालना किये बगैर आनन–फानन में सरसरी तौर बेबुनियाद तकनीकी निष्कर्ष देते हुए पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2014 को पेश किया गया था। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त, अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त, चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली में नोटिस जारी होने के आदेश ही नहीं हुए। तत्पश्चात अधिवक्ताओं की हड़ताल इत्यादि के कारण आगे से आगे पेशी इल्तवा होती रही यानि कि मामले में कभी भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो को सम्मन जारी करने का आदेश पारित हीं नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय के बिना आदेश के आवेदनकर्ता किस हैसियत से सम्मन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पेश करते व किसके आदेश से सम्मन जारी होते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध उक्त रिकॉर्ड एवं आदेशिकाओं का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही यह निष्कर्ष दे दिया कि वकील वादी प्रार्थना पत्र चलाने में रूचि नहीं ले रहे हैं, उनके द्वारा सम्मन पेश नहीं किये गये है। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया उक्त निष्कर्ष पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री/आदेशिकाओं के सर्वथा विपरीत है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.06.2018 पारित करने का एक निष्कर्ष यह भी दिया है कि प्रार्थना पत्र पर वादी संख्या–06 ता 14 के हस्ताक्षर /अंगुष्ठ निशान नहीं है और न ही प्रार्थनापत्र के साथ शपथ पत्र पेश किया है, जबकि वादी संख्या 06 से 14 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में स्पष्ट तौर से रेकर्ड की बात लिखी गयी है अर्थात् पेशी दिनांक 16.12.2013 को निश्चित थी लेकिन पत्रावली को दिनांक 23.11. 2013 को बिना किसी पूर्व सूचना के तलब किया जाकर बिना वादीगण के प्रार्थनापत्र अथवा मौखिक प्रार्थना के नोट प्रेस में वाद खारिज किया गया है। इतना ही नहीं दिनांक 23.11.2013 के आदेश में भी यह भी अंकित कर दिया कि पत्रावली लोक अदालत की भावना से आज पेश हुई। यानि कि उक्त परिस्थितियों में न तो प्रार्थना पत्र पर पक्षकार (वादी) के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अपेक्षित थे, न ही वादी पक्ष में से किसी को शपथ पत्र की ही आवश्यकता थी, क्योंकि वादी पक्ष की किसी सद्भाविक गलती की वजह से वाद खारिज नहीं हुआ था। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निस्तारण केवल रिकॉर्ड का अवलोकन करके ही करना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण बिन्दू को पूर्णतया दरकिनार कर दिया गया और बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये प्रार्थना पत्र को वादी पक्ष के शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान नहीं होने के आधार पर खारिज किया है जो किसी भी सुरत में विधिनुरूप नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष भी विधिसम्मगत नहीं है कि जो दावा नॉ–इंसट्रक्शन में खारिज किया गया, उसके संबंध में प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सीपी.सी. में पेश नहीं किया जा सकता है। इस सम्बंध में यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत वाद नोट प्रेस में खारिज किया गया था, न कि नॉ–इस्ट्रंक्शन के कारण। हस्तगत वाद में वादी अधिवक्ता अपने हस्ताक्षर सुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि उन्होंने वाद को कतई नोट–प्रेस नहीं किया है। ऐसे में विधि के अनुसार एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता को भी एज ए ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट माना गया है, जिनके प्रार्थना पत्र एवं रिकॉर्ड का बिना अवलोकन किये प्रार्थनापत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी में पेश न होने का अधीनस्थ न्यायालय का विनिश्चय कतई विधिसम्मत नहीं है। यदि किसी वाद में वादी पक्ष अधिक हों और उनमें से किन्हीं आंशिक वादी पक्ष द्वारा वाद को नोट प्रेस कर भी लिया जावे तो भी उस वाद में शेष वादीगण को वाद में अपना पक्ष रखने के विधिक अधिकारों से महरूम नहीं किया जा सकता है। स्वीकृत रूप से वादी संख्या 06 से 14 की ओर से वाद को नोट–प्रेस किया ही नहीं गया था, लेकिन इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी संख्या 06 से 14 के हितों को दरकिनार करते हुए उनका प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सी पी सी को खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि की मंशा के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट कम्पनी को अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 की पूर्व जानकारी नहीं हो पाई थी। स्व.उदाराम के कायम मुकामान की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने पर प्रार्थी कम्पनी की ओर से इस सम्बध मे जानकारी लेने पर दिनांक 23.11.2018 को ज्ञात हुआ कि इस भूमि बाबत वाद खारिज हो गया। इस पर प्राथी कम्पनी के कर्मचारियों ने कम्पनी के मुख्य कार्यालय को बताया। मुख्य कार्यालय द्वारा उक्त प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने एवं अधिवक्ता की नियुक्ति करने को कहा। जानकारी के बाद बिना किसी अनुचित विलम्ब के अपील पेश की गई जो सर्वप्रथम पुख्ता रूप से जानकारी होने के बाद अन्दर मयाद पेश है। अपीलान्ट कम्पनी की ओर से अपील पेश करने में जो देरी हुई है वह पूर्णतया सद्भाविक एवं युक्तियुक्त है। इसलिए उक्त सद्भाविक देरी को क्षम्य (Condone) किया जाकर अपील को अन्दर मयाद शुमार कर उसका गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित व न्यायसंगत है। अन्यथा अपीलान्ट कम्पनी न्याय से वंचित हो जायेगी और उनके विधिक अधिकारों का भी हनन होगा।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी द्वारा राजस्व विविध प्ररकण संख्या 40/2014 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2018 को खारिज फरमाया जावे एवं वादी पक्ष संख्या 06 से 14 के आवेदन अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सी पी सी को स्वीकार फरमाया जाकर मूल राजस्व वाद को रेस्टोर करने के आदेश फरमावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद जरिये नोट–प्रेस खारिज किया गया है। वादीगण की ओर से लंबी अवधि बाद भी प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण के सम्मन तामील नहीं करवाने पर विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रार्थीगण के प्रकरण के प्रति उदासीनता के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियो के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में मूल वाद की पत्रावली में दिनांक 16.12.2013 की पेशी नियत थी। विचारण न्यायालय द्वारा नियत पेशी से पूर्व दिनांक 23.11.2013 को बिना किसी प्रार्थना पत्र के पत्रावली पेशी में लेकर वादीगण के वाद को जरिये नोट प्रेस खारिज किया जाना पाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि वाद को नोट प्रेस किये जाने हेतु वादीगण की ओर से किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही अधिवक्ता द्वारा वाद नोट–प्रेस करते वक्त अपने हस्ताक्षर किये है। विचारण न्यायालय द्वारा सभी वादीगण की बिना सहगति वाद नोट प्रेस किया जाना पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादीगण संख्या छः से चौदह की ओर से उक्त वाद को पुनः रेस्टोर करवाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादीगण की ओर से प्रकरण में नोटिस तामील नहीं करवाये गये तथा जो दावा नो--इंस्ट्रक्शन में खारिज कर दिया गया, वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 09 सीपीसी के तहत रेस्टोर किया जा सकता है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाने के पश्चात अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये जाने के आदेश ही पारित नहीं किये गये, जिससे अदालत हाजा अपीलांट के इस कथन से सहमत है बिना नोटिस जारी किये जाने के आदेश के अप्रार्थीगण के नोटिस तामील नहीं करवाये जा सकते। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि की मंशा के विपरीत एवं तकनीकी आधार पर पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। लिहाजा मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 40/2014 गहिपालसिंह व अन्य बनाम जतु कंवर इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 28 जून 2018 खारिज किया जाता है एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वाद को रेस्टोर किया जाकर पुनः नंबर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश दिये जाते है कि वह मामले में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत गुणावगुण पर विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर